(ख) गाँवों में गैर-सरकारी भवनों में कार्य कर रहे 99 प्रतिशत विभागेत्तर डाक-घरों को मकान किराये का कोई भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं तथा उन्हें सफाई और मरम्मत की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं ; और

(ग) संचार विभाग द्वारा जैसा कि अंग्रेजी के शासन-काल में किया जाता था, ग्रामीण और शहरी डाकघरों के कार्मिकों में अभी भी भेदभाव किये जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सातवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान की जा रहीं सेवा की गुणता पर महत्व दिया जाएगा । यह लक्ष्य नियमित मानीटरिंग तथा अन्य साधनों के जरिए पूरा किया जाएगा । विशेषकर, डाक के वितरण और मनी-आर्डरों की अदायगी में सुधार लाने, में अधिक ध्यान दिया जाना है । इसके अतिरिक्त कार्य की गुणता में सुधार लाने के लिए यह भी संभव है कि दूरवर्ती/पिछड़े/जनजातीय क्षेत्रों में चुनिन्दा आधार पर नए डाकघर खोले जाएं ;

(ख) अतिरिक्त विभागीय डाकघरों का कार्य अतिरिक्त विभागीय एजेंटों द्वारा संपन्न किया जाता है जो अंशकालिक कर्मचारी हैं । अतिरिक्त विभागीय उप तथा शाखा पोस्टमास्टरों के पास केवल अपनी जीविका के पर्याप्त साधन हों बल्कि उन्हें डाकघरों के लिए स्थान भी प्रदान करना होता है । यह उनकी सेवा शर्तों का एक अंग है । तथापि उनकी परिलब्धियों के भाग के बतौर अतिरिक्त विभागीय/उप तथा शाखा पोस्टमास्टरों को प्रतिमाह 10 रुपए कार्यालय अनुरक्षण भत्ता भी दिया जाता है । अतः अतिरिक्त विभागीय एजेंटों, जिनके चार्ज में ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त विभागीय डाकघर हैं, को मकान किराया/सफाई भत्ता तथा मरम्मत की सुविधाएं देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) ग्रामीण डाकघरों अथवा शहरी डाकघर में कार्यरत विभागीय कर्मचारी समान दरों पर वेतन तथा भत्ते एवं अन्य सुविधाएं पाने के हकदार होते हैं । मकान किराया/नगर प्रतिपूर्ति भत्ता केवल कुछ विशेष पात्र शहरों में ही दिया जाता है । अतः ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के कर्मचारियों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है । उनकी परस्पर अदला-बदली की जा सकती है । कर्मचारियों की नियुक्तियां प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में की जाती है । यह स्थिति विभागीय कर्मचारियों के संबंध में है और अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के बारे में स्थिति उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में दे दी गई है । अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की सेवा शर्तें विभागीय कर्मचारियों की सेवा शर्तों से भिन्न हैं । अतिरिक्त विभागीय एजेंट डाक विभाग से होने वाली आमदनी के अतिरिक्त अपनी जीविकोपार्जन के लिए कोई भी अन्य कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं जबकि नियमित कर्मचारी ऐसा नहीं कर सकते । चूंकि विभागीय कर्मचारियों एवं अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की सेवा में शर्तें अलग अलग हैं, अतः ग्रामीण एवं शहरी डाकघरों के कर्मचारियों में भेद भाव करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Opening of Public Call Offices

663. DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to open some Public Call Offices at important places like railway stations, bus depots, hospitals, airports and in localities inhabited by the poor people; and

(b) if so, what is the number of Public Call Offices which are likely to be opened in the country during the Seventh Plan period?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): (a) Yes, Sir.

(b) Efforts are being made to achieve an objective of increase of number of public telephones to 5 percent of equipped capacity of exchange system in the country progressively during the Seventh Plan period.

Import of Soda Ash

664. SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the manufacturers of soda ash have made a representation to Government demanding immediate stopping of imports of Soda Ash; and

(b) if so, what measures Government propose to take to stop its imports and what is the policy of government to encourage the indigenous capacity for the manufacturers of soda ash?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Yes, Sir.

(b) In view of the fact that the indigenous production is not adequate to meet the demand, at present the Government has no intention of stopping imports.

Soda Ash is open for licensing to all sectors of the industry. Proposals for setting up of additional capacity for the manufacture of Soda Ash are favourably considered by the Government.

Moonidih Coal-Mines Project

665. SHRI KAILASH PATI MISHRA:

SHRI SHANKER SINH VAGHELA:

SHRI ASHWANI KUMAR:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item which appeared in the Statesman of 9th June, 1986 to the effect that the Bharat Coking Coal Limited Moonidih Coal Mines Project in Bihar would now cost Rs. 132.07 crores due to delay, instead of the original cost of Rs. 15.49 crores and may be completed in 1988; and similarly Eastern Coal Fields Limited's Chinakuri Coal Mine project may now cost 440 per cent more and suffer a time over-run of 103 per cent; and

(b) if so, what is the escalation in cost extent of time over-run regarding each delayed coal project and the total burden of additional cost on the national economy due to cumulative interest and loss in production?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI VASANT SATHE): (a) Yes, Sir. The revised Project Report of Moonidih Underground Project in the Bharat Coking Coal Limited was approved by Government in February, 1983 at an investment of Rs. 132.07 crores. Therefore, the Project is likely to be delayed by four years according to revised schedule and is now expected to be completed by March, 1989. In the case of Chinakuri Underground in the Eastern Coalfields Limited, the revised Project Report was approved in March, 1985 at an estimated cost of Rs. 45.54 crores for completion by March, 1989.